राजस्थान सरकार

# कार्यालय जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, झुंझुनूं (राज.)

क्रमांकः एफ.16(6)(3)न्याय/2008/735 दिनांकः–06-04-2020

:: आदेश ::

विश्व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा कोरोना वायरस (कोविड–19) संक्रमण को Pandemic घोषित किया जा चुका है एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपने आदेश दिनांक 24.03.2020 द्वारा सम्पूर्ण देश में लॉकडाउन की अवधि दिनांक 14.04.2020 तक घोषित की है। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 628 दिनांक 18.03.2020 के द्वारा सम्पूर्ण जिले में धारा 144 जारी की जा चुकी है एवं जिले में कोरोना वायरस (कोविड–19) के दौरान जिला झुंझुनू के नगरपरिषद, झुंझुनू के कुछ क्षेत्र, नगरपालिका क्षेत्र मण्डावा, नगरपालिका क्षेत्र खेतड़ी एवं उदयपुरवाटी तहसील के ग्राम गुढा में आवागन प्रतिबन्धित किया गया है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग द्वारा सम्पूर्ण जिले में करवाये गये घर–घर सर्वे के बावजूद भी कतिपय व्यक्तियों, जो विदेश/अन्य राज्य या या राजस्थान के अन्य जिलों से यात्रा कर लौटे हैं, के द्वारा अपनी जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले में कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्तियों की संख्या निरन्तर बढती जा रही है। जिले में अब तक पाये गये 23 कोरोना पोजिटिव मामलों में से 14 मामलों में नई दिल्ली की निजामुद्दीन दरगाह मरकज से लौटे तबलीगी जमात के सदस्य कोरोना पोजीटिव पाये गये है। इससे स्पष्ट है कि कुछ लागों द्वारा अपनी बीमारी के लक्षण होने, विदेशी/अन्य राज्य/अन्य जिलों से यात्रा की हिस्ट्री होने एवं गत माह निजामुद्दीन मरकज में आयोजित समारोह में शरीक होने की जानकारी छिपाई जा रही है जिससे जिले के अन्य नागरिकों के कोरोना वायरस संक्रमित से होकर बीमार होने की संभावना बढ गई है।

अतः समस्त सम्बन्धितों को आदेशित किया जाता है कि ऐसे व्यक्ति जो निजामुद्दीन मरकज के कार्यक्रम में शरीक होकर लौटे है, या झुंझुनू जिले में बाहर के देशों/जिलों से आये हैं दिनांक 07.04.2020 तक अपनी सम्पूर्ण जानकारी स्थानीय उपखण्ड मजिस्ट्रेट, पुलिस या राजकीय चिकित्सा संस्थान को उपलब्ध करा दें।

उक्त अवधि के पश्चात अगर जानकारी में आता है कि ऐसे व्यक्तियों द्वारा जानबूझकर अपनी उपस्थिति छिपाई है तथा कोरोना वायरस के सम्बन्ध में अपनी जानकारी को छुपाया है जिससे किसी नागरिक के कोरोना से संक्तिम होकर उसकी जान खतरें में आ सकती है या जान जा सकती है तो ऐसे जिम्मेदार व्यक्तियों के विरूद्व आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005, The Rajasthan Epidemic Diseases Act, 1957 , भारतीय दण्ड संहिता की धारा 269,270,271 के साथ–साथ भारतीय दण्ड संहिता की अन्य सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत अभियोजन की कार्यवाही की जाएगी।

चूँकि विद्यमान परिस्थितियों में इस आदेश की तामील व्यक्तिशः पालना कराया जाना सम्भव नहीं है। इसलिए यह आदेश एक पक्षीय पारित किया जाता है। इस आदेश को जिले के समस्त मुख्य स्थानों पर चस्पा करवाकर एवं स्थानीय समाचार पत्रों व प्रचार प्रसार के माध्यमों से समस्त नागरिकों को अवगत करा दिया जावें।

यह आदेश आज दिनांक 06 अप्रेल, 2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी किया गया ।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

(उमर दीन खान)
जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
District Magistrate
JHUNJHUNU
06/04/2020

Scanned by CamScanner

क्रमांकः एफ.16(6)(3)न्याय/2008/735 दिनांकः– 06-04-2020

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हैं :–

1. श्रीमान् अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह एवं न्याय विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. श्रीमान अति0 मुख्य सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संभागीय आयुक्त, जयपुर संभाग जयपुर।
4. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, जयपुर।
5. समस्त जिला मजिस्ट्रेट/पुलिस अधीक्षक, ______________ राजस्थान राज्य।
6. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनूं को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश की पालना सुनिश्चित करने हेतु भिजवावें।
7. मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद, झुन्झुनूं।
8. अति. जिला पुलिस अधीक्षक, झुंझुनू।
9. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
10. उप पुलिस अधीक्षक, ______________________ (समस्त जिला झुंझुनूं)
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थय अधिकारी, झुन्झुनूं।
12. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, झुन्झुनूं।
13. कोषाधिकारी, झुन्झुनूं।
14. जिला रसद अधिकारी, झुन्झुनूं।
15. आयुक्त, नगरपरिषद, झुंझुनू।
16. प्रभारी अधिकारी, सहायता अनुभाग, कलेक्ट्रेट, झुन्झुनूं।
17. जिला शिक्षा अधिकारी मा/प्रा., झुन्झुनूं।
18. तहसीलदार एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट समस्त जिला झुंझुनूं ।
19. सूचना एवं जन सम्पर्क अधिकारी, झुंझुनूं ।
20. विकास अधिकारी, पंचायत समिति समस्त जिला झुन्झुनूं।
21. अधिशाषी अधिकारी, नगरपालिका समस्त जिला झुंझुनू।

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट झुंझुनूं (राजस्थान)

जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट,
झुंझुनूं 6/4/2020
District Magistrate
JHUNJHUNU

Scanned by CamScanner